भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24,तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 404वीं एनओसी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन

दिनांक एवं समय - 06 सितम्बर, 2023 पूर्वाह्न 10.30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. प्रो. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
6. कर्नल सव्यसाची मारवाह, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

403वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

ऑनलाइन नए मामले:

मामला संख्या 01

(श्री एस परंथमन, नं: 9/344, नागलक्ष्मी नगर, 9वीं स्ट्रीट, सीथलप्पकम, चेन्नई - 600131)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में S.NO:9/1B11, प्लॉट नंबर: 29, अरसंकाझानी, तांबरम, तमिलनाडु में 6.97 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) भूतल के साथ भूतल का कुर्सी क्षेत्र = 83.42 वर्ग मीटर, मुख्य कक्ष का कुर्सी क्षेत्र = 12.44 वर्ग मीटर, खुली जगह का क्षेत्र = 46.63 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के आवासीय

भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 02

(श्री एस परंथमन, नं: 9/344, नागलक्ष्मी नगर, 9वीं स्ट्रीट, सीथलप्पकम, चेन्नई - 600131)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में S.NO:9/17, प्लॉट नंबर: 23, अरसंकाझानी, तांबरम, तमिलनाडु में 6.97 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ भूतल के साथ भूतल का कुर्सी क्षेत्र = 83.42 वर्ग मीटर, मुख्य कक्ष का कुर्सी क्षेत्र = 12.44 वर्ग मीटर, खुली जगह का क्षेत्र = 46.63 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 03

(श्री बी डेलसिंह ब्राइट, नंबर 15/6, कस्तूरीबाई स्ट्रीट, गांधी रोड, चूलैमेडु, चेन्नई-094)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 10/एस. नं. .8/6ए2, पोनमार, वंडालूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.37 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 123.79 वर्गमीटर, 1एफ = 118.22 वर्ग मीटर, हेडरूम क्षेत्र = 7.53 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.84 मीटर क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 04

(श्री एस. नागराजन, फ्लैट नंबर 404, ब्लॉक नंबर 46ए बोलिनेनी हिल साइड, पेरुंबक्कम मेन रोड, सिथलप्पकम, चेन्नई-600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एस नं. 203/10, ओट्टियांबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 13.60 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 53.90 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 8.36 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 05

(श्री डी विजयकुमार, पुत्र दास, नंबर 254, कम्मावरपालयम, गोविंदवाडी कम्मावरपालयम, कांचीपुरम तमिलनाडु 631502)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 06

(श्रीमती एस. सूर्या, वार्ड नं.4, ब्लॉक नं.11, डी.नं.22ए, वैगुंडापेरुमल कोइल सन्नथी स्ट्रीट, कांसीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 07

(श्री के पलानी, नंबर: 56/63, 18वां क्रॉस स्ट्रीट, कक्किलान चावड़ी, तांबरम, सेनिटोरियम, चेन्नई-600047)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में P.NO:18(EASTPT), S.NO.361/5B, थिरुनीरमलाई, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **13.72 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 36.14 वर्गमीटर, 1एफ = 2 एफ = 38.52 वर्ग मीटर, पोर्टिको क्षेत्र = 2.38 वर्ग मीटर, हेडरूम क्षेत्र = 8.85 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.52 वर्ग मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में फॉर्म-I, फॉर्म-II और स्थल योजना में उल्लिखित भूतल क्षेत्र से संबंधित विसंगतियां थीं, लेकिन प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए कि स्थल योजना में उल्लिखित तलक्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 08</u>

(श्री ए.पलानीसामी, 41/15, पेरम्बलु स्ट्रीट, ओल्ड वाशरमेनपेट, चेन्नई 600021)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 57, एस नं. 3/9, गौरीवक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.96 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 75.83 वर्गमीटर, 1एफ = 181.13 वर्ग मीटर, हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम = 21.28 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 09</u>

(श्री पी. शनमुगावेल, नंबर 10/16, 7वां ट्रस्ट क्रॉस सेंट, मथावलीपक्कम, सी हेनाई)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 221/20, किलांबक्कम, वंडालूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 8.84 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं

सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 254.65 वर्गमीटर, हेडरूम = 33.87 वर्ग मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 10

(श्री वी. सरवनन, प्लॉट नं.142, 1 सर्कुलर रोड, सचिवालय कॉलोनी, थोरईपक्कम, चेन्नई-600097)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को उनके नाम पर संपत्ति का स्वामित्व दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 11

(मैसर्स राजसथ्थम, नंबर 4, पुधु अग्राहरम दारासुरम, कुंभकोणम, तंजावुर जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को उनके नाम पर संपत्ति का स्वामित्व दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 12

(श्रीमती एन एस अंबुजावल्ली एन0: 3/27, एनएच-1, पायल व्हेयर स्ट्रीट, मराईमलैनगर, चेन्नई-603209)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एस. नं. 30/16, प्लॉट नंबर: 14, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू में 16.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिल के साथ स्टिल्ट = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 146.77 वर्गमीटर, हेडरूम, और लिफ्ट मशीन रूम = 13.79 वर्गमीटर, चारदीवारी = 69.40 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

(मामला संख्या: 13

(श्रीमती एस.राजमणि, 95, कोट्टई मेन रोड, नमक्कल टाउन, नमक्कल-637001)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए(4) के अनुसार किसी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामला संख्या: 14

(एम/एस साई अंजनेया कंस्ट्रक्शन, प्रतिनिधित्व आईएस पार्टनर एम नारायणन, नंबर 10, वीजीपी संथानम्मल नगर, एसआईवीईटी कॉलेज के पास, गौरीवक्कम, चेन्नई - 600073 द्वारा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 142/75, सेम्बक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 15.85 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिल के साथ स्टिल्ट = 1F = 2F = 3F = 133.77 वर्ग मीटर, हेडरूम = 10.77 वर्ग मीटर, लिफ्ट मशीन कक्ष = 7.15 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(अब्दुलसमीर गुलामहुसेन जरीवाला और अब्दुलकय्यूम गुलामहुसेन जरीवाला, 7/1725, सैय्यदपुरा, टुनकी, सूरत)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी.एस. नंबर 1717/ए/1, 1720, 1721, 1722, वार्ड नंबर 7, शीट नंबर 36, टुनकी, सूरत, गुजरात में 22.30 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ, पार्किंग + 5 मंजिल के साथ GF = 125.20 वर्गमीटर, 1F = 2F = 3F = 4F = 5F = 117.85 वर्गमीटर, सीढ़ी केबिन और लिफ्ट = 23.30 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी

देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(फोरटीन स्कवेयर डेवलपर्स, बी-404, लोटस रेजीडेंसी, कांग्रेस भवन के पास, पालडी कोचरब, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस. नंबर 42/बी/पी, मकरबा-सरखेज, अहमदाबाद, गुजरात में 22.79 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट + जीएफ + 5 मंजिल के साथ बेसमेंट = 630.44 वर्गमीटर, जीएफ (एचपी) = 166.98 वर्गमीटर, जीएफ (एसपी) = 377.56 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 544.54 वर्गमीटर, सीढ़ी केबिन = 52.62 वर्गमीटर और ओएचडब्ल्यूटी = 18.10 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(रूपल गौरांग शाह और गौरांग मनहरभाई शाह, 87, लक्ष्मी गृह , महादेव मंदिर के पास चार रास्ता, मणिनगर, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में टीपीएसनंबर 4 (मणिपुर) (द्वितीय विविध) एफपीनंबर 86/1, सब प्लॉट नंबर 13 और सीएसएन के संपत्ति कार्ड के अनुसार 22, टीपीएस नंबर 4, एफपी नंबर 86/11/2, बंगला नंबर 26, वार्ड: मणिनगर टीपीएस नंबर 4, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात, में 14.05 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 184.54 वर्ग मीटर, 1 एफ = 171.00

वर्ग मीटर, 2 एफ = 141.25 वर्ग मीटर, सीढ़ी केबिन = 22.32 वर्ग मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(आदित्य एस. दीक्षित और अन्य, 47, शिल्पा सोसाइटी, वल्लभ पार्क के पास , डी-केबिन, साबरमती, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीएसनंबर 1082, शीट नंबर 23, अडालज, गांधीनगर, गुजरात में 16.27 मीटर की कुल ऊंचाई(मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ, पार्किंग + 3 मंजिल के साथ जीएफ ,पार्किंग = 386.61 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 392.43 वर्गमीटर 3एफ = 350.64 वर्गमीटर, छत तल = 19.57 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 19

(रसिकलाल विरजीभाई कावा, भाटन चौक, द्वारका, जिला देवभूमि द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी, गुजरात और एएसआई के स्थानीय अधिकारियों के साथ कार्य-स्थल का दौरा करेगा ताकि कोई भी अंतिम सिफ़ारिश करने से पहले यह आकलन किया जा सके कि विचाराधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रस्तावित निर्माण से सुरक्षा, बचाव, संरक्षण, दृश्यता या सुसाध्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

मामला संख्या 20

(श्रीमती कृष्णाबेन शैलेशकुमार सोलंकी, 320, शांति नाथ पाड़ा नी पोल, घी कांटा रोड, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सी.एस.नं..320, शाहपुर -2, शीट नंबर 35, अहमदाबाद, गुजरात में 17.27 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 3 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2 एफ = 3 एफ = 42.60 वर्गमीटर, छत तल (एससी+ओएचडब्ल्यूटी) =25.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>ऑफ़लाइन नये मामले</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्रीमती लता, पथप्पुल्ली हाउस, एरियान्नूर, पीओ त्रिशूर - 680102, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई नंबर 1039/3-44, 1039/3-43, वार्ड नंबर XV, कंदनास्सेरी पंचायत में 4.11 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=38.18 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । प्राधिकरण ने कार्यस्थल में अंकित अलग-अलग सर्वे क्रमांक के बावजूद प्रपत्र-2 में अंकित सर्वे क्रमांक 1039/3-44, 1039/3-43 पर विचार करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, **केरल** की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्रीमती कल्याणी , एलायट हाउस, चिरक्कल, पेरुम्पुली नगर, कट्टकम्पल पीओ, त्रिशूर- 680544, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई नंबर 322/7, गांव- कट्टकम्पल, पंचयाथ-कट्टकम्पल, त्रिशूर में 4.75 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=39.02 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री कुंजुकुट्टन और रमानी , पलायूर हाउस, चिरक्कल, पेरुम्पुली नगर कट्टकम्पल, पीओ, त्रिशूर- 6805440)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई नंबर 323/10, दरवाजा नंबर XIV/103, गांव-कट्टकम्पल, पंचायत- कट्टाकम्पल, जिला-त्रिशूर में 4.75 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=39.06 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्रीमती कार्थ्यायनी , पेलक्कटु वलप्पिल हाउस, एरियान्नूर पीओ, त्रिशूर- 680102)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में एसवाई नंबर 109/3, वार्ड नंबर 05, कंदनास्सेरी, पावराट्टी, कुन्नमकुलम में 6.55 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ=95.48 वर्गमीटर, 1एफ=79.04 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने कार्यस्थल योजना में उल्लिखित अलग-अलग ऊंचाई के बावजूद फॉर्म-II और फॉर्म-I में उल्लिखित ऊंचाई 6.55 मीटर पर विचार करने का निर्णय लिया। सक्षम

प्राधिकारी, **केरल** की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री कंचन गुप्ता पुत्र हरिद्वारी लाल गुप्ता, एसए 14/78, बरईपुर, सारनाथ वाराणसी-221007)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आवेदक को अपना नाम दर्शाते हुए संपत्ति का स्वामित्व दस्तावेज जमा करने को कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

ऑनलाइन अनुपालन मामले

मामला संख्या 01

(श्रीमती पलविंदर कौर पत्नी जोगिंदर सिंह, प्रो. नंबर बी-6/56, नकोदर रोड, नूरमहल, तहसील फिल्लौर, जिला जालंधर)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में वीपीओ नूरमहल, कैनरा बैंक, नूरमहल के सामने, पुराने बस स्टैंड के पास, फिल्लौर, जालंधर, पंजाब में 11.65 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 32.12 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(मुबारक इस्माइल काठिया और नूरजहां मुबारक काठिया के सराफराज गुलाम काठिया (पीओएएच), सी/ओ-12/610, 403, केशव चैंबर्स, डॉ. हाउस के पास, लालगेट, सूरत, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीएसनंबर 1709 और 1715, वार्ड नंबर 12, शीट नंबर 44, शाहपोर, सूरत, गुजरात में 20.35 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक,

मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ, पार्किंग + 5 मंजिलों के साथ पार्किंग = 141.33 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 121.06 वर्गमीटर, छत का तल = 35.60 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(दीपक रमेश चंद्र मेहता और बीना दीपककुमार मेहता, ऋषभ बिल्डकॉन, भावना फ्लैट के सामने, बी-4, सुपन अपार्टमेंट 1, नारायणनगर रोड, वासना, अहमदाबाद-380007)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टीपीएस नंबर 22, पालडी एक्सटेंशन (अंतिम), एफपी नंबर 305, सब प्लॉट/बंगला नंबर 8, पालडी, अहमदाबाद, गुजरात में 22.80 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ बेसमेंट + जीएफ (एचपी) + 6 मंजिलों के साथ बेसमेंट = 375.52 वर्गमीटर, जीएफ (एचपी) = 1 एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 6एफ = 304.63 वर्गमीटर और एससी = 39.86 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 04.50 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ़लाइन मामलो का अनुपालन

मामला संख्या 01

(श्रीमती संध्या मौर्य पत्नी श्री दिनेश मौर्य, एसए गहुनी पोस्ट- मेहनगर, परगना- बेला, दौलताबाद, आज़मगढ़ -276204)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आरजी नंबर 280 मौजा-मेहनगर, परगना-दौलताबाद, जिला-आजमगढ़ में 07.25 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 194.69 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी (यूपी) की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>अतिरिक्त एजेंडा</u>

<u>ऑनलाइन नये मामला</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(मैसर्स डिकोड इंफ्रा एलएलपी अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री मंदीप ढींगरा, ए-15, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड सं. ए -15, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली में 17.90 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 2 तलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 463.15 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.45 मीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री मोहम्मद अनस, निवासी-बी-14, निज़ामुद्दीन पश्चिम, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड सं.- बी -14, निज़ामुद्दीन पश्चिम, दिल्ली - 110013 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3एफ = 125.40 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 2.89 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(श्री काबुल चावला और आईएसजी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, 7, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली)
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 7, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली में 14.31 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम सहित एचवीएसी यूनिट, सौर पेनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ भूतल + 2 मंजिलों + परगोला के साथ जीएफ = 733.52 वर्ग मीटर, 1 एफ = 589.61 वर्ग मीटर, 2 एफ = 58.23 वर्ग मीटर, एवं परगोला = 219.84 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।